संख्या- 306 /2025 /2739 /चार-2025-1850918

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 17 सितम्बर, 2025**

विषयः- महिलाओं एवं बालिकाओं **की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अंतर्गत शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं **की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा** महिलाओं एवं बालिकाओं **की सहभागिता के साथ प्रदेश में अनेक कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं।** आगामी शारदीय नवरात्रि शुभ तिथियों दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से 01 अक्टूबर, 2025 की अवधि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस अवसर पर बालिकाओं एवं महिलाओं की सहभागिता के साथ प्रदेश में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अतः विगत वर्षों की भांति ''मिशन शक्ति'' के अन्तर्गत इन शुभ तिथियों में भी प्रदेश के देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में बालिकाओं एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा लागू किये गये कानूनों का वृहद प्रचार-प्रसार हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाना जाना है।

2- अष्टमी एवं महानवमी के अवसर पर प्रदेश के राम मंदिरों/हनुमान मंदिरों/वाल्मीकि मंदिरों/दुर्गा मंदिरों का चयन करते हुए मंदिरों मे सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार व जनसामान्य को इससे जोड़ते हुए भव्यपूर्ण अखंड रामायण/सुंदरकांड पाठ/दुर्गा सप्तशती-पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। इस आयोजन हेतु गतवर्ष की भांति प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय , तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति का गठन करते हुए कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाये।

3- समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चयनित राम मंदिरों/हनुमान मंदिरों/वाल्मीकि मंदिरों/दुर्गा मंदिरों में कार्यक्रमों हेतु स्थानीय लोक कलाकारों/भजन मण्डली /कीर्तन मण्डली का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका समन्वय पर्यटन विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा। जिलों में तैनात सूचना एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त कार्यक्रम स्थानीय जनसहभागिता के साथ आयोजित किये जाये। स्थानीय कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग के **"SanskritiUP"** एप से किया जा सकता है।

4- शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में चयनित मंदिरों में दिनांक 30 सितम्बर , 2025 अष्टमी के दिन प्रातः 11:00 बजे से 01 अक्टूबर 2025 नवमी के दिन प्रातः 11:00 बजे तक भव्यपूर्ण अखंड रामायण/सुंदरकांड पाठ/दुर्गा सप्तशती-पाठ के पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय भजन मण्डलियों/कीर्तन मण्डलियों का चयन करते हुए किया जाए ।

5- उपरोक्त आयोजन प्रदेश स्तरीय आयोजन है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा मंदिरों एवं शक्तिपीठों तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

देवीमन्दिरों में पर्यटन विभाग व अन्य विभागों के द्वारा कराये गये विकासात्मक कार्यों एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में प्रिन्टमीडिया/सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त देवी मन्दिरों के प्रांगण में होर्डिंग्स लगायी जायें।

6- प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल पर साफ-सफाई पेय जल, सुरक्षा, ध्वनि प्रकाश एवं दरी-बिछावन आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा ससमय सुनिश्चित करा ली जाये तथा सभी आयोजन स्थलों पर सक्षम स्तर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आयोजन सुनिश्चित कराये जाये।

7- सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु चयनित मण्डलियों को प्रति मण्डली एवं प्रति स्थल मानदेय के रूप में धनराशि रु० 5,000/- तथा साउंड, लाइट, बैनर, बैकड्राप, तख्त, दरी-बिछावन, भोजन, प्रचार-प्रसार आदि व्यवस्थाओं पर रु० 5,000/- की धनराशि व्यय की जाएगी जिसका भुगतान संस्कृति विभाग द्वारा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् के माध्यम से किया जाएगा।

8- उक्त आयोजनों हेतु कलाकारों के मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु प्रत्येक जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद को रू0 1.00 लाख प्रति जनपद उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि 'विगतवर्षों में चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि में उपलब्ध करायी गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र' उपलब्ध कराने वाले जनपदों को ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

9- गत वर्ष उपलब्ध कराई गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं कार्यक्रमों के वीडियो/फोटोग्राफ अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेंगे।

10- शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजनों के संबंध में आयोजन स्थल का पता, जियोटैग फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन तथा कार्यक्रम प्रबन्धक का सम्पर्क नम्बर, कलाकारों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://upculture.up.nic.in/hi/Navratri-2025 के माध्यम से जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अपडेट की जाये ।

11- प्रदेश स्तरीय उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्यवन करने तथा सभी प्रकार के समन्वय करने के लिए श्रीमती रीनू रंगभारती, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (मोबाइल नं0- 9415068031) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

12- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शारदीय नवरात्रि' की शुभ तिथियों में 'मिशन शक्ति' के तहत उपरोक्तानुसार प्रदेश के मंदिरों का चयन करते हुए भव्यपूर्ण अखंड रामायण/सुंदरकांड पाठ/दुर्गा सप्तशती-पाठ\झांकियों के सांकृतिक कार्यक्रम सम्पन्न करते हुए कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://upculture.up.nic.in/hi/Navratri-2025 पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम

प्रमुख सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय , उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय कुमार सिंह

विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।